शिक्षा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). 23 मार्च 1963 को लोक सभा में इस मंत्रालय की 1963-64 के लिए बजट की मांगों पर बोलते हुए भूतपूर्व शिक्षा मंत्री (डा० कालूलाल श्री माली) ने यह आशा व्यक्त की थी कि 1963-64 के वित्तीय वर्ष के अन्त तक लगभग 50 पुस्तकें तैयार हो जायेंगी परन्तु, 1963-64 वर्ष के अन्त तक, निदेशालय 33 पुस्तकों का अनुवाद और रचना पूरी कर सका, जिनमें से केवल 7 पुस्तकें प्रकाशित की गईं और 5 छप रही थीं। क्योंकि पुस्तक प्रकाशन का कार्य, वास्तव में 1963-64 में ही आरम्भ हुआ था; इसलिए 1962 और 1963 की संख्याएं देने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निदेशालय; वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली तैयार करने में लगे वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के सचिवालय के रूप में कार्य करता है।

निदेशालय और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग पर हुआ वर्ष वार खर्च निम्नलिखित है :-

1960-61	–	7,07,632	रुपये
1961-62	–	9,91,499	रुपये
1962-63	–	12,47,001	रुपये
1963-64	–	14,18,898	रुपये
1964-65 (31-10-64 तक)	–	9,91,662	रुपये

---

12 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

(i) PROTEST STRIKE BY JUTE WORKERS OF WEST BENGAL AGAINST NON-PAYMENT OF BONUS AND DEARNESS ALLOWANCE.

Shri Dinen Bhattacharya (Serampore): I call the attention of the Minister of Labour and Employment to the following matter of urgent public importance, and I request that he may make a statement thereon:

> Protest strike on the 1st December, 1964 by jute workers of West Bengal as a protest against the non-payment of bonus and dearness allowance.

The Minister of Labour and Employment (Shri D. Sanjivayya): Sir, the information is being collected and if you will permit me, I will make a statement tomorrow either after the Question Hour or at 5 O' Clock.

Mr. Speaker: All right. I will put it tomorrow or the day after.

12.02 hrs.

RE OPERATION OF ARTICLE 370

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : मैं आपके एक निर्णय के प्रति आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह तो यही चलता रहेगा।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : वह इस से सम्बन्धित नहीं है। मैं आपके एक निर्णय के प्रति आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

आपने सरकार को यह कहा था कि जब हाउस चल रहा हो, तब कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय यदि हो, तो उसकी सूचना पहले लोकसभा को दी जाय। कल सरकार ने आर्टिकल 370 के सम्बन्ध में निर्णय किया है। आज के समाचारपत्रों में यह समाचार आया है लेकिन हाउस को सरकार ने पहले सूचित नहीं किया। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के निर्णय पहले बाहर चले जाएं और बाद में सदन के सामने आवें ? दो दिन बाद तो सरकार को इस पर वक्तव्य देना ही देना था।